



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

हत्या का सफल अनावरण एवम् घटना में संलिप्त 05 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल

बरामद

दिनांक- 30.07.21

दिनांक 25.7.2021 को थाना तालगांव क्षेत्र के मदनापुरगढ़ी में दो अज्ञात शव मिलने की सूचना पर प्राप्त हुई थी। जिसके क्रम में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तालगांव पर मु0अ0सं0 264/21 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह द्वारा घटना के शीघ्रातिशीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ. राजीव दीक्षित एवम् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी. सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तीन-तीन टीम (कुल छः टीमों) का गठन किया गया था।

निर्देशों के क्रम में गठित की गयी टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए शवों की शिनाख्त कर प्रकाश में आये घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को 03 आलाकत्ल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

विवरण- दिनांक 25.7.21 को मदनापुर गढ़ी में दो अज्ञात शव(एक महिला व एक पुरुष) मिलने की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को शिनाख्त करने के प्रयास के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था एवम् संभावित स्थानों पर पम्फलेट चस्पा/वितरित कर निरंतर शवों के शिनाख्त करने के प्रयास किये जा रहे थे। इस क्रम में प्राप्त साक्ष्यों एवम् सूचनाओं के आधार पर लगी टीमों द्वारा 04 अभियुक्तों 1.शकील अहमद पुत्र इसराइल 2.अकील अहमद पुत्र इसराइल 3.इसराइल पुत्र इस्माइल नि0गण अंबावा थाना तालगांव सीतापुर 4.रमजान अली पुत्र मौला नि0 गऊघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण से गहनता से पूछताछ की गयी तो जानकारी हुई कि मदनापुरगढ़ी में मिले दोनों शव 1.श्री सतीश पुत्र शिवमूरत 2.श्रीमती मंजू देवी पत्नी सतीश नि0गण करहकोल थाना एकौना जनपद देवरिया के हैं। दोनों पति-पत्नी हैं। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त शकील ने बताया कि वह चिनहट के पास किराये पर रहकर मजदूरी करता है तथा इन दोनों पति-पत्नी से करीब तीन माह पहले उसकी जान-पहचान हुई थी और उनके घर भी आना-जाना था। इस दौरान उसने मृतका मंजू ने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गये हैं इन्हें जमा करा दो। शीघ्र जमा कराने का आश्वासन देकर लालच में आकर शकील ने उन्हें लेने की योजना बनायी। इसी क्रम में दिनांक 24.7.21 की शाम को अभियुक्त शकील दोनों पति-पत्नी श्रीमती मंजू व श्री सतीश को विश्वास में लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर लखनऊ से बैठकर अपने गांव अम्बावा के पास मदनापुर गढ़ी तक ले आया, जहां पूर्व योजना के अनुसार आये हुए बाकी तीन लोग अकील(शकील का भाई), रमजान(अकील का ससुर), इसराइल(शकील का पिता) और अभियुक्त शकील ने उन दोनों पर हमला कर तेज बांके से उनकी हत्या कर दी व उनके पैसे लेकर चले गये। दोनों व्यक्ति अन्य जनपद के थे, अतः उनकी पहचान न हो सके इसलिये उनके पहचान पत्र/मोबाइल भी अभियुक्तगण अपने साथ ले गये। महिला के पास से मिले 72,000/-रुपये चारों अभियुक्तों ने शकील की पत्नी सहित आपस में बांट लिये। यद्यपि शकील की पत्नी रुखसार मौके पर वारदात में शामिल नहीं थी किंतु उस को योजना को पहले से जानती थी व मृतका का आधार कार्ड/पैनकार्ड तथा पति शकील के खूनालूद कपड़े उसके पास रखे थे। इसी कारण पैसे में उसका भी हिस्सा लगाया गया।

अभियुक्त इसराइल के पास से मृतक सतीश का मोबाइल व एक अदद पासबुक, 12,130/-रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल व एक अदद आलाकत्ल बांका, अभियुक्त शकील के पास से मृतका मंजू देवी का मोबाइल, 12,500/-रुपये, घटना में प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल बांका व सैमसंग मोबाइल, एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, अभियुक्त अकील उपरोक्त से 15,000/-रुपये नगद, मृतक सतीश का एक आधार कार्ड, एक तमंचा व 2 कारतूस 12 बोर, अभियुक्त रमजान अली के पास से 8,000/-रुपये नगद, एक अदद आलाकत्ल बांका व मृतका मंजू देवी का पैन कार्ड ,शकील की पत्नी रुखसार उर्फ गुड़िया के पास से

मंजू का आधार कार्ड, 7,000/-रुपये नगद बरामद हुआ है तथा घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलों के अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा तत्समय पहने गये जीन्स, टीशर्ट व गमछा बरामद किय गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ, श्रीमती लक्ष्मी सिंह महोदया द्वारा अनावरण करने वाली संयुक्त पुलिस टीम को 50,000/-रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 264/21 धारा 302/201 भादवि थाना तालगांव सीतापुर
2. मु0अ0सं0 269/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना तालगांव सीतापुर
3. मु0अ0सं0 270/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना तालगांव सीतापुर

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. शकील अहमद पुत्र इसराइल नि0 ग्राम अम्बावा थाना तालगांव जनपद सीतापुर
2. अकील पुत्र इसराइल नि0 ग्राम अम्बावा थाना तालगांव जनपद सीतापुर
3. इसराइल पुत्र इस्माइल नि0 ग्राम अम्बावा थाना तालगांव जनपद सीतापुर
4. रमजान अली पुत्र मौला नि0 गऊ घाट थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ

बरामदगी-

1. 54,630/-रुपये नगद, दो अदद आधार कार्ड, एक पासबुक, एक अदद सैमसंग मोबाइल, एक अदद नोकिया मोबाइल, एक अदद पैन कार्ड।
2. कुल दो मोटर साइकिल डिस्कवर नं0 UP 32 FR 5664 व प्लेटिना नं0 UP 32 DK 9381, एक जीन्स, टीशर्ट, गमछा, दो अदद मोबाइल(AMEE व सैमसंग), 3 अदद आलाकत्ल बांका, दो अदद अवैध तमंचा, 04 अदद कारतूस

अभियुक्त शकील अहमद से-

1. घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकिल डिस्कवर नं0 UP 32 FR 5664
2. एक अदद मोबाईल सैमसंग रंग गोल्डेन (स्वयं का)
3. एक अदद मोबाईल नोकिया की-पैड रंग काला (मृतका का मोबाईल)
4. एक अदद बांका खूनालूद
5. 12500/-रुपये नगद
6. एक अदद तमंचा 315 बोर
7. दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
8. मोटर साइकिल की डिग्गी मे खूनालूदा कपडे (एक अदद जीन्स की पैन्ट घूटनो के नीचे कटी हुयी बरंग आसमानी नीला, एक अदद टी-शर्ट बरंग काही, एक अदद गमछा बरंग लाल)

अभियुक्त इसराइल से--

1. एक अदद मोबाईल AMEE कंपनी का बरंग लाल सफेद

2. एक अदद मोबाईल सैमसंग कंपनी बरंग गोल्डेन (मृतक का मोबाइल)
3. 12130/-रूपये नगद
4. एक अदद बैंक पासबुक इंडियन ओवरसीज बैंक धारक सतीश खाता सं0 257101000006363,
5. एक अदद बांका रक्त रंजित (आलाकत्ल)

अभियुक्त अकील से—

1. घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकिल प्लेटिना नं0 UP 32 DK 9381
2. एक अदद तमंचा 12 बोर नाजायज
3. दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
4. एक अदद आधार कार्ड सतीश जिसका नं0 464203862103
5. 15000/-रूपये नगद

अभियुक्त रमजान अली से

1. 8000/-रूपये नगद
2. एक अदद पैन कार्ड जिसका नं0 EPHPD1058H मंजू देवी पुत्री शिवधारी
3. एक अदद बांका रक्त रंजित (आलाकत्ल)

रूकसार उर्फ गुडिया से—

1. एक अदद आधार कार्ड मंजू देवी जिसका नं0 883824740656
2. 7000/-रूपये नगद

● गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

थाना तालगांव की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह थाना तालगांव सीतापुर
2. उ0नि0 श्री कृष्ण चंद्र तिवारी थाना तालगांव सीतापुर
3. हे0का0 रामप्रताप थाना तालगांव सीतापुर
4. हे0का0 राजाराम
5. का0 नन्दकिशोर शर्मा
6. का0 गौरव
7. म0आ0 आरती शर्मा
8. म0आ0 अनुज

थाना स्वाट/सर्विलांस की टीम-

1. उ0नि0 श्री मनीष सिंह
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार रावत
3. का0 उमेश

4. का0 आनंद

5. का0 सुमित

